

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी. 1, अग्नेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

आदेश 11(125)1, आधीरी, कलाल-नगारची-फकीर)/आरएण्डपी/सान्याअवि/13/68254

जयपुर दिनांक 13/9/11

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गए विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रिमण्डल की आज्ञा 219/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 एवं 218/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 की अनुपालना में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े जाति/वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है।	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है।
1	सूची की क्रम संख्या 26 पर कलाल (टाक), कलाल (मेवाडा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूवालिया) एवं कलाल (पटेल) के पहले शुरु में 'कलाल'।	अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की क्रम संख्या 26 पर कलाल, कलाल (टाक), कलाल (मेवाडा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूवालिया) एवं कलाल (पटेल)
2	क्रम संख्या 56 पर अंकित जातियों नगारची-दमामी, राणा, बायती (बारोट) सभी के आगे (मुस्लिम)	अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रम संख्या 56 पर नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम)
3	सूची में क्रमांक 48 पर फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले) जाति/वर्ग के आगे कोष्टक में अंकित (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले) शब्द को विलोपित करना।	अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 48 पर 'फकीर'

आज्ञा से,

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

12/9/13

क्रमांक एच 11(125)() / ओकीरी / (कलाल-नगारची-फकीर) / आरएण्डपी / सामान्य / 10 / 68255-405 जयपुर दिनांक 13/11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
6. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
7. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर/जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलक्टर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिबीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
19. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
20. गार्ड फाइल।

प्रमुख शासन सचिव

12/11/13